कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–1/नियुक्ति–अंग्रेजी/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 10.06..2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 10.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 10.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (रमेश कुमार व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11742/2019 रमेश कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11742/2019 रमेश कुमार व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 में याचिका को एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 व एस.बी.सिविल या.सं. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2015 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 में आदेशित किया है "In the result this writ petition is allowed and the respondents are directd to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण रमेश कुमार व अन्य में निम्नांकित अभ्यर्थी सुनीता सुथार व दो अन्य प्राध्यापक (अंग्रेजी) द्वारा पृथक–पृथक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2017 व 11.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं0	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	सुनीता सुथार	20-12-1989	575	20-07-2018	21.07.2018 मध्याहन पश्चात्
2	सुरेश कुमार प्रजापति	03-07-1992	335	20-07-2018	23.07.2018 मध्याहन पूर्व
3	जगदीश कुमार चौधरी	25-07-1984	517	20-07-2018	21.07.2018 मध्याहन पूर्व

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक अंग्रेजी विषय के नियुक्ति आदेश दिनांक 11.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक दिनेश कुमार मीणा मेरिट क्रमांक 781 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी दिनेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 18.06.2017 को मध्याहन पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.17 10:54:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4203872

उपर्युक्त अभ्यर्थी सुनीता सुथार व दो अन्य के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11742/2019 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी दिनेश कुमार मीणा (मेरिट क्रमांक 781) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 11.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में दिनेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 18.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

दिनेश कुमार मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक दिनेश कुमार मीणा के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी सुनीता सुथार व अन्य दो भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/नोशनल/सुनीता सुथार व अन्य/या.स.–11742/2019 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.17 1?:54:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4203872

<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1/नियुक्ति–अंग्रेजी/एससी–15/2017 दिनांक 10.06..2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 10.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 10.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (जस्साराम व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 13623/2019 जस्साराम व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13623/2019 जस्साराम व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 में याचिका को एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 व एस.बी. सिविल या.सं. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2015 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 में आदेशित किया है **"IN THE RESULT THIS WRIT PETITION IS ALLOWED AND THE RESPONDENTS ARE DIRECTD TO TREAT THE PETITIONERS SENIOR TO RESPONDENTS NO.4 TO 8 AS PER THEIR PLACEMENT IN THE MERIT LIST."**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण जस्साराम व अन्य प्राध्यापक (अंग्रेजी) द्वारा पृथक–पृथक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2017 व 11.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S.NO	EMPLOYEE NAME	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	JASSA RAM	05-06-1993	734	20-07-2018	25-07-2018
2	BHUPENDRA KUMAR	29-09-1987	731	20-07-2018	23-07-2018
3	KHUSHBOO GUPTA	13-04-1991	351	20-07-2018	23-07-2018 **AFTER NOON**
4	VANDANA SHARMA	14-11-1992	371	20-07-2018	24-07-2018
5	SAROJ RANI	05-03-1987	323	20-07-2018	25-07-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक अंग्रेजी विषय के नियुक्ति आदेश दिनांक 11.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक दिनेश कुमार मीणा मेरिट क्रमांक 781 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी दिनेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 18.06.2017 को मध्याहन पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी जस्साराम व अन्य के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 13623/2019 जस्साराम व अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत [illegible] मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण [illegible] उल्लिखित अभ्यर्थियों

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.17 20:00:01 IST
Reason: Approved

में से कनिष्ठ वरीयताधारी दिनेश कुमार मीणा (मेरिट क्रमांक 781) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 11.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में दिनेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 18.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

दिनेश कुमार मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक दिनेश कुमार मीणा के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी जस्साराम व अन्य भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/नोशनल/या0सं–13626/19(जस्साराम व अन्य) **दिनांक–**

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.17 20:00:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4280367
D:/17.12.16/desktop/court